



**भारत सरकार**  
**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**  
**एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ**  
**Ministry of Environment, Forest & Climate Change**  
**Integrated Regional Office, Lucknow**



लैट-फ्लॉप १८वं चौथे ताल, सेक्टर-५, अलिगंज, लखनऊ-२२६०२४  
 Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696  
 Email: rccz.lko-mefc@nic.in

पत्र सं. ०८०/यू०प०/०६/१४३/२०२२/एफ.सी. | ५७२

दिनांक: 04.10.2022

सेवा में

अंतिम मुख्य सचिव,  
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
 उ०प्र० शासन, वापू भवन, लखनऊ।

**अंनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/152381/2022**

विषय: जनपद आगरा में चौदोसी-आगरा-तांतपुर कोट मार्ग (एस०एच०-३५) के किमी ०.२३६ के चैनेज २३५.०३० ग्राम ईना नगर, तहसील खेरागढ़ एवं किमी ० सं०-२४५ के चैनेज २४४.०१० ग्राम सरेंधी तहसील खेरागढ़ पर निर्माण खण्ड-२ लोक निर्माण विभाग, आगरा द्वारा राज्य सड़क निधि योजना के अन्तर्गत राज्य मार्ग सं०-३५ की बांधी पट्टी पर प्रस्तावित दो द्रक ले वाई निर्माण कार्य हेतु ०.४०८ हेतु सरकारी वनमुभि के भैरवानिकी प्रयोग एवं विना वृक्ष यातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: सचिव(वन), उ०प्र० शासन का पत्रांक २४८५/८१-२-२०२२-८००(१७२)/२०२२, लखनऊ, दिनांक १५.०९.२०२२

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव(वन), उ०प्र० शासन के पत्रांक पी-१८९/८१-२-२०२२-८००(१७२)/२०२२, दिनांक २४.०६.२०२२ का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर बन (संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा-२ के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नापन प्रकरण में इस कार्यालय एवं सम्बन्धित पत्र दिनांक २०.०७.२०२२ द्वारा प्रकरण में आवश्यक सूचनाएँ मांगी गई थीं, जिसकी अनुपालना के सम्बन्ध में उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गई है। प्रत्युत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित विन्दुओं पर पुनः आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि प्रकरण में आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके-

1. The NET Suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 0.08 ha, which is less than the actual required CA land area.
2. Positional error has been found in the proposed CA land area. This needs rectification.

मवदीया,

(डॉ० प्राची मंगवार)

उप वन महानिरीक्षक [कैन्ट्रीय]

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, १७, शाणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, १७, शाणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
4. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-२ लोक निर्माण विभाग, आगरा।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वैबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची मंगवार)  
 उप वन महानिरीक्षक [कैन्ट्रीय]

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-१२६७/११सी- FP/UP/Road/152381/2022 दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर ०७/२०२२

प्रतिलिपि— आगरा वृत्त, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा उपरोक्त विन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि— प्रभागीय निदेशक, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा विन्दुवार वांछित सूचना/अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल तीन प्रतियों में वन संरक्षक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-२ लोक निर्माण विभाग, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)  
 मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
 उ०प्र०, लखनऊ।